27/7 आज यह पत्रावली वकील वादी द्वारा प्रा०पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गयी। वकील वादीगण ने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया कि दावा में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति हो चुकी है। अब पक्षकारान के मध्य कोई विवाद शेष नहीं है। अतः दावा विड्रा करना चाहते हैं। वादीगण उप०। वादीगण की पहचान श्री विनोद पुरोहित एड० ने की।

प्रा० पत्र प्रार्थी वादीगण स्वीकार किया जाता है। उक्त प्रकरण जरिये विड्राल इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक: 31/5/11 वापस लिया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

पेशकार